

दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय : न्यू इंडिया एश्योरेन्स , 87, महात्मा गांधी मार्ग,

फोर्ट, मुंबई- 400001

www.newindia.co.in



550 प्रशासनिक अधिकारियों (जनरलिस्ट एवं स्पेशलिस्ट) (श्रेणी-I) की भर्ती

संदर्भ: कोर्प.एचआरएम/प्र.अ./2025 07.08.2025

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आगे की घोषणाएं/अपडेट केवल हमारी वेबसाइट के भर्ती अनुभाग में समय-समय पर प्रकाशित/प्रदान किए जाएंगे

सी आई एन क्र: L66000MH1919GOI000526 आई आर दी ए पंजीकरण क्रमांक g No: 190

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी, 550 (जनरलिस्ट एवं स्पेशलिस्ट) श्रेणी -1 संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु ओपेन मार्केट (बाजार) से आवेदन आमंत्रित करती है.

रिक्तियाँ (अस्थायी)

क्षेत्र	कुल	अ.ज.ा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडब्ल्यूएस	यूआर	पी.डब्ल्यू.बी.डी			
							एचआई	वीआई	ओसी	आईडी / बहु
जोखिम इंजीनियर	50	8	4	14	5	19	1	1	0	0
आटोमोबाइल इंजीनियर	75	11	5	20	8	31	0	1	1	1
विधि	50	8	4	13	5	20	1	1	0	1
लेखा	25	4	2	7	2	10	0	0	1	0
स्वास्थ्य	50	8	4	14	5	19	1	0	1	0
आईटी	25	4	2	7	3	9	1	0	0	0
व्यापार विश्लेषक	75	11	6	20	8	30	1	1	0	1
कंपनी सचिव	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
बीमांकिक विशेषज्ञ	5	0	0	1	0	4	0	0	0	0
जनरलिस्ट	193	29	15	52	19	78	2	2	2	2
कुल	550	83	42	148	55	222	7	6	5	5

यूआर: अनारक्षित; अ.जा.: अनुसूचित जाति; अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति; अ.पि.व.: अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; पी.डब्ल्यू.बी.डी: बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति; एच.आई: श्रवण बाधित; वीआई: दृष्टिबाधित; ओसी: आर्थोपेडिक रूप से विकलांग; आईडी: बौद्धिक विकलांगता; बहु: एकाधिक विकलांगताएँ

- उपरोक्त रिक्तियाँ अंतिम हैं और भौतिक समय पर कंपनी की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं.
- ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण और आयु में छूट के हकदार नहीं हैं. उन्हें अपनी श्रेणी यूआर के रूप में दर्शानी चाहिए.
- विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण परिणाम को अंतिम रूप देने के समय प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा. भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्यालय ज्ञापन संख्या द्वारा शासित होता है. 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31.01.2019, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियाँ अस्थायी हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी मुकदमे के नतीजे के अधीन हैं.

ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति अस्थायी है और यह आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यमों से सत्यापन के अधीन है।

ध्यान दें: उम्मीदवार को केवल किसी एक विषय के लिए ही आवेदन करना चाहिए। एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने पर, अभ्यर्थी के सभी आवेदनों को अमान्य माना जाएगा।

राष्ट्रीयता

कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को इनमें से कोई एक होना चाहिए:

(ए) भारत का नागरिक, या (बी) नेपाल का नागरिक, या (सी) भूटान का नागरिक, या (डी) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया था, या (ई) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो।

बशर्ते कि श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

कृपया महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान दें-

ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क का भुगतान	7 से 30 अगस्त 2025 (दोनों तिथियाँ शामिल)
चरण- I ऑनलाइन परीक्षा (वस्तुनिष्ठ)	14 सितंबर 2025 (अनिश्चित)
चरण- II ऑनलाइन परीक्षा (वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक)	29 अक्टूबर 2025 (अनिश्चित)

उम्मीदवारों को केवल ऑन-लाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना है। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट www.newindia.co.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन को नियमित रूप से देखते रहें।

कृपया ध्यान दें कि यहां निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पद के लिए आवेदन करने के लिए मूल मानदंड हैं। साक्षात्कार के समय, उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाई गई श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित अपनी पहचान और पात्रता के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति और एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी स्तर पर आवेदन डेटा में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल पद के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा और/या बाद के साक्षात्कार और/या बाद की प्रक्रियाओं में शॉर्टलिस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को कंपनी में रोजगार की पेशकश की जाएगी। जिस श्रेणी/पद के लिए आवेदन किया है, उसके अलावा किसी अन्य श्रेणी/पद के तहत उम्मीदवारी पर विचार करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. सेवा शर्तें

सेवा शर्तें कंपनी के समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होंगी। नियुक्ति पर चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा आवश्यकता के अनुसार भारत में किसी भी स्थान पर तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रारंभिक पोस्टिंग स्थान पर न्यूनतम प्रवास 5 वर्ष का होगा। स्पेशलिस्ट धाराओं के तहत चयनित उम्मीदवारों को कंपनी के विवेक के अनुसार न्यूनतम 10 वर्षों तक उसी विशेषज्ञता में बने रहने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, वे कंपनी के नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र बने रहेंगे। कृपया ध्यान दें कि प्र.अ. (स्वास्थ्य) के रूप में चयनित उम्मीदवार किसी भी गैर-अभ्यास भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

2. परिवीक्षा

कंपनी के नियमित पे-रोल पर अधिकारी संवर्ग में नियुक्त उम्मीदवार सेवारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा की अवधि, दो बार (एक बार में छह माह) बढ़ाई जा सकती है। बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि अधिकतम एक वर्ष तक हो सकती है। परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित गैर-जीवन लाइसेंशिएड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही अधिकारी कंपनी में अपनी सेवाओं की स्थायी होने के लिए पात्र होगा। बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के दौरान उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर अधिकारी को निर्धारित अवधि की समाप्ति पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि उम्मीदवार को किसी भी समय अनुपयुक्त पाए जाने पर बिना किसी सूचना या कोई कारण बताए उनकी सेवाएं समाप्त करने का कंपनी के पास अधिकार सुरक्षित है।

3. गारंटी बॉण्ड:

परिवीक्षाधीन के रूप में शामिल होने से पहले, चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि सहित न्यूनतम चार साल की अवधि के लिए कंपनी की सेवा करने का प्रतिज्ञापत्र देना होगा. बांड अवधि की समाप्ति से पहले कंपनी से इस्तीफा देने की स्थिति में, परिवीक्षा के वर्ष के दौरान उन्हें दिए गए एक वर्ष के सकल वेतन के बराबर परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो प्रदान की गई सेवा की अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है. इसके अलावा, उसे एक साल के सकल वेतन के बराबर राशि के लिए अच्छी वित्तीय स्थिति वाले दो जमानतदारों (रक्त संबंधी नहीं) द्वारा विधिवत निष्पादित एक मुद्रांकित क्षतिपूर्ति बांड जमा करना होगा.

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से इस्तीफा देने वाले उम्मीदवार और परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जिन उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उन्हें कंपनी में उनकी पूरी सेवा के दौरान प्राप्त सकल वेतन का भुगतान की राशि के अलावा प्रशिक्षण की आंशिक लागत के तौर पर 25,000/- रु. की राशि का भी भुगतान करना होगा.

वर्तमान नियोजक के साथ मूल पद बनाए रखने के लिए निष्पादित कोई भी ग्रहणाधिकार/बांड कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होगा और कोई अवकाश वेतन या पेंशन योगदान नहीं किया जाएगा.

4. परिश्रमिक एवं लाभ

मूल वेतन रु. 50,925/- रु. 50925-2500(14)-85925-2710(4)-96765 के पैमाने पर और अन्य स्वीकार्य भत्ता जो लागू हो. महानगरीय केन्द्रों में सकल परिलब्धियाँ लगभग प्रति माह रु. 90,000/- होगा. अन्य लाभ जैसे कि पीएफआरडीए द्वारा शासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवरेज, ग्रेजुटी, एलटीएस, चिकित्सा लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि नियमों के अनुसार होंगे. अधिकारी मानदंडों के अनुसार कंपनी/पट्टे पर आवास की सुविधा पाने के भी हकदार होंगे.

5. शैक्षणिक अर्हताएं (01.08.2025 तक)

जनरलिस्ट: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर की न्यूनतम योग्यता या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, जिसमें उम्मीदवारों के लिए किसी भी डिग्री परीक्षा में कम से कम 60% अंक (अ.जा./ अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% अंक) होने चाहिए.

स्पेशलिस्ट: उम्मीदवार के पास निम्नानुसार न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए. योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष योग्यता से होनी चाहिए

क्षेत्र	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं
जोखिम इंजीनियर	किसी भी क्षेत्र में इंजीनियर (स्नातक/ स्नातकोत्तर) न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)
ऑटोमोबाइल इंजीनियर	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक/एम.ई./एम.टेक न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%) या किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग में स्नातक/ स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%) एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (कम से कम एक साल की अवधि)
विधि	विधि में स्नातक/ स्नातकोत्तर, न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)
लेखा	चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईसीएआई) / कॉस्ट तथा मैनेजमेंट अकाउंटेंट (दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भूतपूर्व आईसीडब्ल्यूआई) एवं किसी भी क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%) या एमबीए (फाइनेंस) / पीजीडीएम (फाइनेंस)/ एमकॉम न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)
स्वास्थ्य	एमबीबीएस/एमडी/एमएस या पी.जी. मेडिकल डिग्री या

	बी.डी.एस/ एम.डी.एस या बी.ए.एम.एस/ बी.एच.एम.एस (स्नातक/ स्नातकोत्तर) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से; योग्यता डिग्री में न्यूनतम 60% अंक (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%) या समकक्ष विदेशी डिग्री जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (भूतपूर्व एमसीए) , भारतीय दंत परिषद, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (जैसा लागू हो) द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के साथ मान्यता प्राप्त हो. इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी के पास भारत की मेडिकल या डेंटल काउंसिल अथवा किसी राज्य की मेडिकल या डेंटल काउंसिल से वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है (क्रमशः एलोपैथी या डेंटल शाखा के लिए लागू); तथा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग या राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (क्रमशः आयुर्वेद या होम्योपैथी विषय के लिए लागू) से भी वैध पंजीकरण होना चाहिए. संबंधित प्राधिकरणों के तहत पंजीकरण आवश्यक है.
आई.टी.	आई.टी. या कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई./बी.टेक/एम.ई./एम.टेक या एम.सी.ए न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)
व्यापार विश्लेषक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/एकचुरियल विज्ञान/डाटा विज्ञान/व्यावसायिक विश्लेषक में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री. इनमें से किसी भी डिग्री परीक्षा में कम से कम 60% अंकों के साथ (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55%)
कंपनी सचिव	आईसीएसआई से एसीएस/ एफसीएस एवं किसी भी क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%)
बीमांकिक विशेषज्ञ	किसी भी क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर न्यूनतम 60% अंकों सहित (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55%) एवं IAI या IFOA से न्यूनतम चार एकचुरियल पेपर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हो, जिनमें CM1 अनिवार्य रूप से शामिल हो और CB3 शामिल न हो, तथा उम्मीदवार IFOA या IAI का सक्रिय सदस्य हो.

टिप्पणी:

- शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ बोर्ड भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक निकाय से होनी चाहिए. परिणाम 01.08.2025 को या उससे पहले घोषित होना अनिवार्य है.
- उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिसमें 01.08.2025 को या उससे पहले परिणाम घोषित हो चुका हो.
- उम्मीदवार के पास 01.08.2025 तक आवश्यक योग्यता की वैध मार्क-शीट / डिग्री प्रमाणपत्र होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री (आईडीडी) प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईडीडी पास करने की तारीख 01.08.2025 या उससे पहले है.
- प्रतिशत अंक सभी सेमेस्टर/वर्ष में सभी विषयों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सकल अधिकतम अंकों में से निकाला जाएगा, जोकी औनर्स/ वैकल्पिक/ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो, को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा. यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहां कक्षा/ग्रेड केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर तय किया जाता है. इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अपुनीक (फ्रैक्शन) को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात 59.99% को 60% से कम माना जाएगा.
- जहां सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है, उम्मीदवार को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें ग्रेड को प्रतिशत में बदलने और मानदंडों के संदर्भ में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बारे में विश्वविद्यालय के मानदंडों का उल्लेख हो.

6. आयु (01.08.2025 को)

01.08.2025 को न्यूनतम आयु: 21 वर्ष और अधिकतम आयु: 30 वर्ष.

यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त-1995 से पहले और 1 अगस्त-2004 (दोनों

तिथियां सम्मिलित) के बाद नहीं हुआ होना चाहिए.

ऊपरी आयु सीमा में छूट इस प्रकार होगी:

क्र.	श्रेणी	आयु छूट
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3.	बेंचमार्क दिव्यांगजन , दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 , के अनुसार	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक, कमिशन अधिकारी सहित ईसीओ/ एसएससीओज जिन्होंने 01.08.2025 को सैनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा प्रदान की है और (ए) नियत कार्य के पूर्ण होने पर उन्हें कार्यमुक्त किया गया हो (वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल 01.08.2025 से एक वर्ष की अवधि में पूरा होगा) या उन्हें बरखास्तगी या कदाचार के कारण या अक्षमता के कारण सेवामुक्त या (बी) सेवाओं के दौरान शारीरिक अशक्तता पाया गया हो या (सी) असमर्थता. वे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 01.08.2025 को सैन्य सेवा में प्रदत्त प्रारंभिक 5 वर्षों की अवधि पूरी की है और जिनका कार्यकाल पांच वर्षों के पार बढ़ाया गया हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि वे असैनिक रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें चयन के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की सूचना के बाद कार्यमुक्त किया जा सकेगा.	5 वर्ष
5.	मोर्चाबंदी सेवाओं हेतु तैनात कार्मिक जो कि विदेशी शत्रुता की मोर्चाबंदी या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य के समय विकलांग हुए और जिसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया हो .	3 वर्ष
6.	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वर्तमान स्थायी कर्मचारी (इसमें जीआईसी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है)	8 वर्ष

टिप्पणी:

- ऐसे उम्मीदवार जो उपर्युक्त श्रेणियों में से एक से अधिक के तहत आयु में छूट के लिए पात्र है, उन्हें यह छूट संचयी आधार पर उपलब्ध होगी. सरकार के दिशानिर्देश और कंपनी नियमों के अधीन, संयुक्त अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है.
- आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी और साक्षात्कार के समय तथा/ या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- यदि कोई बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (जीआईसी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित) के मौजूदा स्थायी कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट का हकदार है, तो उसे रियायत या तो 'विकलांग व्यक्ति' के रूप में या 'सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (जीआईसी और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड सहित) के मौजूदा स्थायी कर्मचारी' के रूप में, जो भी उसके लिए अधिक फायदेमंद हो, स्वीकार्य होगी.
- यदि कोई भूतपूर्व सैनिक पुनर्नियुक्ति के लिए दी गई सुविधाओं का लाभ लेकर नागरिक क्षेत्र में किसी सरकारी नौकरी में एक बार शामिल हो चुका है, तो पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य से उसकी भूतपूर्व सैनिक की स्थिति समाप्त हो जाती है. हालांकि, वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में लागू आयु में छूट का पात्र रहेगा.
- एक भूतपूर्व सैनिक, जो किसी भी शासकीय सेवाएँ में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है. हालाँकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक को, जैसे ही वह किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल होता है, उसे विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथि-वार विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए, जिसके लिए उसने प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था. इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है.
- अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है.

7. परिभाषाएं

(ए) भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम): केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 36034/5/85 स्था. में निर्धारित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं. (एससीटी) दिनांक 27.01.1986, समय-समय पर यथासंशोधित.

(बी) अशक्तता सहित भूतपूर्व सैनिक (डीएक्सईएस): भूतपूर्व सैनिक जो सैन्यबल के सशस्त्र बलों में सेवा करते समय दुश्मन के खिलाफ या अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन में अक्षम हो गए थे, उन्हें अशक्तता सहित भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा.

(सी) बेंचमार्क दिव्यगजनों की परिभाषा: दिव्यगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं. इस अधिनियम के तहत उल्लिखित विकलांगताओं की आरक्षित श्रेणियां हैं:

अ. दृष्टिहीन और कम दृष्टि;

ब. बधिर व कम सुनने वाले

स. लोकोमोटर अशक्तता जिनमें सेरेब्रल पाल्सी, उपचरित कुष्ठ रोगी, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं;

द. स्वीनता (ऑटिज़्म), बौद्धिक अशक्तता, विशिष्ट शिक्षण अशक्तता और मानसिक रोग;

इ. प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में खंड (अ) से (द) के तहत व्यक्तियों में से बहु-विकलांगताएं.

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी.

प्रशासनिक अधिकारी (स्केल-1) का पद विकलांगता की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाना गया है. तदनुसार, केवल निम्नलिखित श्रेणियों के PwBD उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं:

ए) दृष्टिहीन और कम दृष्टि;

बी) बधिर व कम सुनने वाले

सी) लोकोमोटर अशक्तता जिनमें सेरेब्रल पाल्सी, उपचरित कुष्ठ रोगी, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं;

डी) स्वीनता (ऑटिज़्म), बौद्धिक अशक्तता, विशिष्ट शिक्षण अशक्तता और मानसिक रोग;

ई) प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहुरा-अंधता सहित खंड (अ) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से बहु-विकलांगताएं.

जो व्यक्ति आरक्षण/छूट का लाभ लेना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

i. स्क्राइब का उपयोग करने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता कार्य विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 16-110/2003-डीडी III दिनांक 26 फरवरी 2013 द्वारा जारी दिशानिर्देशों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा पत्र एफ. संख्या 3/2/2013-कल्याण दिनांक 26.04.2013 द्वारा जारी स्पष्टीकरण एवं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 और एफ. संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे सभी मामलों में जहां एक स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को अपने खर्चे पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.
- ओएम-एफ. संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के समय इस आशय में कि संबंधित व्यक्ति लिखने में अक्षम है, परिशिष्ट-1 में सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी.
- जनरलिस्ट अनुशासन के लिए स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है. स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए, स्क्राइब को संबंधित विशेषज्ञ स्ट्रीम से भिन्न शैक्षणिक स्ट्रीम से होना चाहिए.
- उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को यह पुष्टि करते हुए एक उचित आश्वासन देना होगा कि वह स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है. इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, चाहे आवेदन का परिणाम जो भी हो.
- ऑनलाइन आवेदन के समय या परीक्षा के समय या किसी भी चरण में जमा किए गए घोषणा पत्र में उम्मीदवार/ स्क्राइब के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार और स्क्राइब को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, कंपनी नियमों के अनुसार, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा,
- वे उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं, वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट, या अन्यथा जैसी सलाह दी गयी हो, के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे. स्क्राइब को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए. यदि ऐसी कोई गतिविधि देखी जाती है, तो अभ्यर्थिता

रद्द कर दी जाएगी.

- समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा की प्रकृति प्रतिस्पर्धी होने के कारण, उम्मीदवार को कंपनी को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा कि एक स्क्राइब के उपयोग की आवश्यकता थी क्योंकि उसके पास विकलांगता द्वारा गति सहित लिखने के लिए शारीरिक सीमा है, जैसा कि एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले बेंचमार्क/विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के संबंध में दिशानिर्देशों में उल्लिखित है.
- स्क्राइब को इस प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि स्क्राइब भी एक अलग सत्र में इसी परीक्षा में शामिल हुआ है, तो लेखक और उम्मीदवार दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
- स्क्राइब द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का वर्तमान कर्मचारी नहीं हो सकता है.
- जो उम्मीदवार पात्र हैं और जो परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए. बाद में किसी भी अनुरोध पर अनुकूलता से विचार नहीं किया जाएगा.
- एक स्क्राइब का उपयोग एक से अधिक अभ्यर्थी नहीं कर सकते. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्थित किया गया स्क्राइब ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए. यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
- केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों (ऑनलाइन पंजीकरण के समय) को ऐसी रियायतें दी जाएंगी क्योंकि उम्मीदवारों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, परीक्षण आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसी अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है. प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी.
- परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर यदि यह पाया गया कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. लेखक की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह बताया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है. ऐसे मामलों में, उम्मीदवार और स्क्राइब को भविष्य की सभी प्रक्रियाओं से या तो स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है.
- कंपनी या परीक्षण आयोजित करने वाली एजेंसी उम्मीदवार/स्क्राइब का ऑनलाइन आधार सत्यापन भी कर सकती है.

ii. **दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश (श्रेणी ए)**

- दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जो कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को बड़े फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय या अन्यथा सलाह दी गई प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे.
- परीक्षा की सामग्री को आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए भी उपलब्ध होगी जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करते हैं.

iii. **पहचानी गई बेंचमार्क विकलांगताओं (श्रेणी सी) के उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश**

पहचाने गए बेंचमार्क विकलांगता (न्यूनतम 40% अशक्तता) वाले श्रेणी सी के उम्मीदवारों के लिए प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा सलाह दी गई प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां मुख्य रूप से लिखित कार्य इतना प्रभावित होता है कि लिखने के कार्य की गति प्रभावित होती है.

iv. **पहचानी गई बेंचमार्क विकलांगताओं की श्रेणी (डी) में उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश**

40% से अधिक पहचाने गए कैट (डी) बेंचमार्क विकलांगता (एसएलडी, एमआई, इत्यादि) वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय, चाहे वह स्क्राइब की सेवाओं का लाभ ले रहा हो या नहीं, की अनुमति दी जाएगी.

v. **40% से कम विकलांगता और लिखने में कठिनाई वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश**

पहचानी गई बेंचमार्क विकलांगताओं के उम्मीदवार (जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है) पर लागू निर्देशों के अलावा, निम्नलिखित नियम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत निर्दिष्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू होंगे, यानी 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति:

- स्क्राइब और/या अतिरिक्त समय की सुविधा केवल उन व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है/, बशर्ते कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में असमर्थता है और परीक्षा लिखवाने के लिए स्क्राइब आवश्यक है. यह प्रमाण पत्र किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किया गया होना चाहिए.
- लेखक की योग्यता, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक पायदान नीचे होनी चाहिए. स्वयं के स्क्राइब का चयन

करने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के पात्र नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में स्क्राइब का उपयोग करने वाला कोई भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएगा और उसे बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वह कंपनी में शामिल हो चुका है।

नोट: ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

D. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) :

1. जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाएगा। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल होगी और यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय होगी। प्रमाणपत्र 31.03.2025 के पश्चात और आवेदन पत्र भरने की तिथि से पूर्व जारी किया गया होना चाहिए। साक्षात्कार की तिथि के पश्चात प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार का कोई अनुरोध 'पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण' स्वीकार नहीं किया जाएगा, और यदि अभ्यर्थी द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे किसी भी स्थिति में साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही परिवार की आय कुछ भी हो:

- 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
 - 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होलिंग परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। केवल निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार की प्रक्रिया में उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना होगा।
4. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।
5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- अस्वीकरण:** ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के अगले निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

नोट: ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

8. चयन प्रक्रिया

चरण- 1: प्रारंभिक परीक्षा

100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा वाली प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसमें 3 अनुभाग शामिल होंगे (प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग-अलग समय के साथ) :

परीक्षण/अनुभाग का नाम (क्रमानुसार नहीं)	परीक्षण का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	प्रत्येक परीक्षण/अनुभाग के लिए अवधि (अलग-अलग समयबद्ध)	संस्करण
---	-------------------	--------------------	------------	---	---------

1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	35	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिन्दी
3	संख्यात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	35	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिन्दी
	कुल		100	100	60 मिनट	

उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा तय किए जाने वाले उत्तीर्ण अंक हासिल करके प्रत्येक परीक्षा/अनुभाग में अर्हता प्राप्त करनी होगी. कंपनी द्वारा तय की गई प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों (उपलब्धता के आधार पर रिक्तियों की संख्या का लगभग 15 गुना) को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

द्वितीय चरण -मुख्य परीक्षा :

मुख्य परीक्षा में 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 30 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी. वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों टेस्ट ऑनलाइन होंगे. अभ्यर्थियों को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा.

वस्तुनिष्ठ परीक्षा के पूरा होने के तुरंत बाद, वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी.

(I) वस्तुनिष्ठ परीक्षा: 2.5 घंटे की अवधि की वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस प्रकार होगी. प्रत्येक खंड के लिए पृथक अवधि होगी. परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को कॉल लेटर पर निर्धारित स्थान में पाठ लिखने के लिए 5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा.

जेनरलिस्ट :

क्र.	परीक्षा का नाम (क्रमानुसार नहीं)	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा का माध्यम	प्रत्येक खंड के लिए पृथक अवधि)
1	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	50	अंग्रेजी / हिन्दी	40 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	50	अंग्रेजी	40 मिनट
3	सामान्य ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	50	अंग्रेजी / हिन्दी	30 मिनट
4	संख्यात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	50	50	अंग्रेजी / हिन्दी	40 मिनट
	कुल (पूर्ण योग)		200	200		

स्पेशलिस्ट :

क्र.	परीक्षा का नाम (क्रमानुसार नहीं)	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	परीक्षा का माध्यम	प्रत्येक खंड के लिए पृथक अवधि)
1	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी / हिन्दी	30 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी	30 मिनट
3	सामान्य ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी / हिन्दी	25 मिनट
4	संख्यात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी / हिन्दी	30 मिनट
5	स्पेशलिस्ट स्टीम में, प्रासंगिक अनुशासन में तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान का आकलन करने के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	40	अंग्रेजी / हिन्दी	35 मिनट
	कुल (पूर्ण योग)		200	200		150 मिनट

विशेषीकृत क्षेत्रों के संदर्भ में, संबंधित विषयों में तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के लिए व्यापक विषयवस्तु/ पाठ्यक्रम परिशिष्ट-अ में उल्लिखित है .

(ii) वर्णात्मक परीक्षा: 30 अंकों की 30 मिनट की वर्णात्मक परीक्षा अंग्रेजी भाषा (पत्र लेखन-10 अंक और निबंध-20 अंक) की परीक्षा होगी. वर्णात्मक परीक्षा अंग्रेजी में होगी और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी. वर्णात्मक परीक्षण मूल्यांकन/साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी. वर्णात्मक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे. उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, वर्णात्मक पेपर मूल्यांकन के लिए कटऑफ तय की जाएगी. प्रत्येक उम्मीदवार को वस्तुनिष्ठ परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में न्यूनतम कुल अंक (रिक्तियों की संख्या के अनुसार कंपनी द्वारा तय किया जाएगा) प्राप्त करना होगा और साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए वर्णात्मक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी. वर्णात्मक परीक्षा में अर्हक अंक इस प्रकार होंगे: 15/30 (एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13.5/30).

एक उम्मीदवार को वर्णात्मक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वर्णात्मक परीक्षा के अंकों को साक्षात्कार या अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्टिंग में नहीं गिना जाएगा.

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू)

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान है. प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, सही अंक प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से एक-चौथाई अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा. यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, यानी उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा.

कंपनी परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिसकी सूचना उसकी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी.

अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा के अंकों की गणना निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर की जाती है:

I. प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में किसी अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को, गलत उत्तरों पर दंड लागू करने के बाद, संशोधित अंक निकालने के लिए माना जाता है.

II. एक बार जब संशोधित अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को ध्यान में रखते हुए उन्हे समीकृत* अंक बना दिया जाता है.

* किसी भी परीक्षण में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को मूल रूप में बराबर करने के लिए सभी फॉर्म के स्कोर वितरण को ध्यान में रखा जाता है.

III. परीक्षण-वार स्कोर और कुल स्कोर दशमलव के दो अंकों तक दर्शाए जाते हैं.

नोट: कटऑफ दो चरणों में लागू किए जाते हैं:

1. प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षण में स्कोर पर
2. कुल स्कोर पर

तृतीय चरण: साक्षात्कार

द्वितीय चरण के अंत में जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें तद्विधत कंपनी द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. साक्षात्कार चुने हुए केंद्रों पर ही आयोजित किया जाएगा. ऑन लाईन परीक्षा और साक्षात्कार का वेटेज (अनुपात) क्रमशः 75:25 होगा. शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को बुलावा पत्र के माध्यम से साक्षात्कार के केंद्र, स्थान का पता, समय और तारीख की सूचना दी जाएगी. उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे कंपनी की वेबसाइट से साक्षात्कार बुलावा पत्र डाउनलोड करें. कृपया नोट करें कि साक्षात्कार की तारीख, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होंगे. हालांकि, किसी

विशेष परिस्थिति में कंपनी साक्षात्कार की तारीख/स्थल/केंद्र इत्यादि बदलने या किसी अन्य निश्चित तारीख/सत्र/स्थल/केंद्र/उम्मीदवारों के समूह का अनुपूरक प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

अंतिम चयन

अंतिम चयन मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) और साक्षात्कार दोनों के सकल अंकों पर आधारित होगा. उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए सकल अंकों के अवरोही आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी. वे उम्मीदवार जो वरीयता सूची में रिक्तियों की संख्या के अंदर आते हैं उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन प्रबंधन के विवेकाधिकार के आधार पर एक से अधिक बैच में नियुक्त किए जा सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता वरीयता/चयन सूची पर आधारित होगी. प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जा सकती है जोकि कुल रिक्तियों की 50% संख्या से अधिक नहीं होगी और इनका उपयोग अंतिम वरीयता सूची से चयनित उम्मीदवारों द्वारा नौकरी के अवसर को अस्वीकार किए जाने के बाद किया जाएगा.

कंपनी में मौजूदा मानदंडों के अनुसार, दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, अंतिम योग्यता निम्नलिखित क्रम में तय की जाती है: ए) साक्षात्कार में प्राप्त अंक (साक्षात्कार में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पहले/ऊपर रखा जाएगा). यदि साक्षात्कार के अंक समान हैं, तो बी) जन्म तिथि (उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को उम्र में कनिष्ठ उम्मीदवार से पहले/ऊपर रखा जाता है).

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने पर निर्भर है. ऐसी नियुक्ति भी कंपनी के सेवा एवं आचरण नियमों के अधीन होगी.

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे आयु और शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को आवेदन से पूर्व पूरा कर लें (जैसा कि संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ (ऊपर उल्लेखित) पर है). यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है, तो भर्ती के किसी भी चरण में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से उक्त पद के लिए चयनित होने का कोई अधिकार स्वतः नहीं माना जाएगा.

कृपया नोट करें कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

- 1) निर्धारित तिथि तथा परीक्षा सत्र के लिए वैध बुलावा पत्र.
- 2) मूल फोटो पहचान साक्ष्य (विनिर्दिष्ट अनुसार) जिसमें बुलावा/ आवेदन पत्र के अनुसार वही नाम और अन्य जानकारी दर्शाई गयी हो और
- 3) फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति (नीचे दिये गए विवरण के अनुसार)

*पहचान का सत्यापन

परीक्षा हाल तथा साक्षात्कार के समय बुलावा पत्र के साथ उम्मीदवार वर्तमान वैध फोटो पहचान की प्रतिलिपि सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को जैसे कि पैन कार्ड / पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो सहित मूल बैंक पास बुक / कार्यालय पत्र शीर्ष में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान/ कार्यालय पत्र शीर्ष में जन प्रतिनिधि द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान / मान्यता प्राप्त कॉलेज या युनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी किया गया वैध पहचान कार्ड/ फोटो सहित आधार कार्ड/ कार्मिक आईडी/ फोटो ग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान कार्ड प्रस्तुत करें. उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन उसके द्वारा बुलावा पत्र, उपस्थित सूची और प्रस्तुत किए गए संबंधित दस्तावेज के विवरणों के साथ किया जाएगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

इस प्रक्रिया हेतु राशन कार्ड तथा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वैध साक्ष्य नहीं है.

टिप्पणी : उम्मीदवार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. क्रमशः इसी प्रकार साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बुलावा पत्र सहित प्रस्तुत करें. इसके बिना परीक्षा / साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाया गया नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया हो) और फोटो पहचान साक्ष्य पर दर्शाया गया नाम बिल्कुल समतुल्य हो. महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के पश्चात् अपना पहले/अंतिम/मध्य नाम में परिवर्तन किया है इसे विशेष रूप में नोट करें. बुलावा पत्र और फोटो पहचान साक्ष्य में दर्शाए गए नाम के बीच किसी भी प्रकार का भेद पाया जाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम परिवर्तन कराया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना मूल शपथपत्र प्रस्तुत करें / अपनी मूल विवाह प्रमाणपत्र /.

बायमेट्रिक डाटा - केपचरिंग और सत्यापन

यह निर्णय लिया गया है कि वे उम्मीदवार जो प्राथमिक परीक्षा (प्रथम चरण) उत्तीर्ण करने के पश्चात् मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) में भाग ले रहे हैं, उनका मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) के दिन बायमेट्रिक डाटा (बाये अंगूठे का निशान या अन्य), आईरिस स्कैन तथा फोटोग्राफ लिया जाएगा. बायमेट्रिक डाटा तथा फोटोग्राफ को दो अवसर, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साक्षात्कार तथा अस्थायी रूप से चयन किए गए उम्मीदवार के सेवा प्रारंभ के समय सत्यापित किया जाएगा. इस से संबंधित (सुमेल तथा बेमेल) की स्थिति का निर्णय बायमेट्रिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया के सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न मदों का ध्यान रखें:

- यदि उंगलियों में कोटिंग (स्टैप स्पाही/मेंहदी/रंग इत्यादि) हो तो सुनिश्चित करें कि उसे अच्छी तरह धो लिया गया है ताकि परीक्षा/साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण दिवस से पहले कोटिंग पूर्ण रूप से निकल गयी हो.
- यदि उंगलिया गंदी या मैली हैं, सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट/उंगली की छाप (बायमेट्रिक) कैपचर करने से पहले उन्हें धो और सुखा लिया गया है.
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलिया सूखी हैं. यदि उंगलिया गीली हैं तो प्रत्येक उंगली को सुखा लें.
- यदि प्रमुख उंगली (बाया अंगूठा), जिसे कैपचर किया जाना है, में चोट/क्षति हुई है तो परीक्षा केंद्र के संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें. ऐसे मामलों में अन्य उंगलियां, पैर की उंगलियों की छाप इत्यादि को कैपचर किया जा सकता है.

आईरिस स्कैन के संबंध में कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें

- सभी उम्मीदवारों की बाईं आँख का स्कैन किया जाएगा.
- स्कैनिंग के दौरान उम्मीदवारों को कांटेक्ट लेंस और चश्मा हटाना अनिवार्य है.
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है की वे कांटेक्ट लेंस पहनने से बचे और चश्मा पहने.
- इरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं होता. स्कैनर और आँख के बीच आधे फूट की दूरी बनाए रखी जाएगी.

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (जो लागू हो)

साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को अपनी पात्रता और पहचान के समर्थन में निम्न दस्तावेज मूल रूप में और स्वःसत्यापित फोटो प्रतियों के साथ निश्चित रूप से प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा ना कर पाने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं होगी. साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर आगामी भर्ती प्रक्रिया में उसकी उम्मीदवारी वर्जित कर दी जाएगी.

- वैध साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंट आउट.
- ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन फार्म का वैध सिस्टम जनरेटिड प्रिंटआउट.
- जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी या एसएसएलसी/ जन्मतिथि के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र).
- विज्ञापन में दर्शाए गए पहचान को सत्यापित करते हुए फोटो पहचान साक्ष्य.
- बोर्ड / यूनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 01.08.2025 से पहले या तक परिणाम घोषित करता हुआ दसवीं, बारहवीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (यदि कोई है तो) या समतुल्य शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की अंक सूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाया जाए. जहां केवल सीजीपीए/ओजीपीए दिये गए हैं वहाँ उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा जिसमें विश्व विद्यालय द्वारा ग्रेड की प्रतिशत के परिवर्तन से संबंधित शर्त तथा उम्मीदवार द्वारा नियमों के आधार पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया हो.
- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में माँगा गया जाति प्रमाणपत्र तथा जाति वैधता प्रमाण पत्र (जहां भी वैध हो) जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.
अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से धारा होनी चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमीलेयर वर्ग से संबंधित नहीं है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लाभों से वर्जित है. नॉन क्रीमीलेयर क्लास से संबंधित अ.पि.व. जाति प्रमाणपत्र, ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि पर वैध होना चाहिए जैसा कि इस विज्ञापन के मद संख्या 13(B) में उल्लेखित है. प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख, केंद्र सरकार सूची /अधिसूचना के पत्र के साथ हूबहू मेल खाना चाहिए.
अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा/ या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो वह अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं है. वे उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को 'सामान्य' (युआर) दर्शायें.
- बेंचमार्क दिव्यांगजन के मामले में सक्षम प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अशक्तता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी किया गया हो.
सक्षम प्रमाणन प्राधिकारी, जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के

उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपेडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे.

ऑन लाईन परीक्षा के समय यदि उम्मीदवार स्क्रीन की सेवाओं का उपयोग करता है तो विनिर्दिष्ट प्रारूप (वेबसाइट पर उपलब्ध) में स्क्रीन का विवरण विधिवत भरा जाए.

- viii) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश तथा अंतिम /वर्तमान रैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्ति पुस्तिका प्रस्तुत करनी होगी (मूलभूत के साथ-साथ कार्यकारी). वे जो अब भी रक्षा सेवाओं में हैं, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें 31.07.2026 तक या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा.
- ix) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के मामले में, आय और संपत्ति प्रमाणपत्र, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया होना चाहिए.
- x) सरकारी, अर्ध सरकारी /सार्वजनिक उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) की सेवाओं के उम्मीदवार को अपने साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. इसके न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा व्यय, अन्य प्रकार से देय, स्वीकार्य नहीं होंगे.
- xi) अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई है तो
- xii) प्र. अ. (हेल्थ) के संबंध में आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- xiii) राष्ट्रीयता के आधार पर (बी) (सी) (डी) और (इ) की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें
- xiv) पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज.

टिप्पणी : यदि उम्मीदवार उपर्युक्त उल्लिखित पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो उसे साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

9. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)

दिनांक 07.08.2025 से 30.08.2025 तक (दोनों तिथियां शामिल) ऑनलाइन अदा किया जाना है.

अ. जा/ अ. ज. जा/ पीडब्लूबीडी	रु. 100/- (जीएसटी सहित) (केवल सूचना शुल्क)
अ. जा/ अ. ज. जा/ पीडब्लूबीडी उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवार	रु. 850/- (आवेदन शुल्क जिसमें सूचना शुल्क भी शामिल है.)

* यदि कोई ट्रांज़ेक्शन शुल्क होगा तो उसे उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाना होगा.

एक बार अदा किया गया शुल्क / सूचना शुल्क किसी भी रूप में लौटाया नहीं जाएगा और न ही वह किसी अन्य परीक्षा या चयन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा.

10. (ए) परीक्षा केन्द्र :

- सत्र की परीक्षा से संबंधित बुलावा पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ऑन लाईन परीक्षा संचालित की जाएगी.
- परीक्षा के केन्द्र / स्थान / दिनांक / परीक्षा सत्र में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा
- हालांकि फिर भी कंपनी अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह किसी भी परीक्षा केंद्र और/ या कुछ अन्य केन्द्रों को अपने विवेकाधिकार द्वारा आवेदनों की संख्या और/या प्रशासनिक व्यवहार्यता को देखते हुये रद्द कर सकती है या बढ़ा सकती है .
- उम्मीदवार द्वारा चुने गए केंद्र को छोड़कर उसे अन्य कोई भी केंद्र आबंटित करने का अधिकार भी कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.
- उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर स्वयं के जोखिम पर और खर्चे पर उपस्थित रहेगा और किसी भी प्रकार के घाव या हानि आदि के लिए कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
- प्रथम व द्वितीय चरण के परीक्षा केन्द्रों की अस्थायी सूची नीचे दी गयी है.

परीक्षा केंद्र तथा तिथि कंपनी के विवेकाधिकार पर बदले जा सकते हैं. किसी भी केंद्र में परीक्षा के रद्द होने की स्थिति में कंपनी के पास संबंधित उम्मीदवार को वैकल्पिक केंद्र आबंटित करने का विवेकाधिकार है. प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के लिए अलग-अलग बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए वेबसाइट लिंक www.newindia.co.in से उचित समय पर डाउन लोड किए जाए . बिना बुलावा पत्रों के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.

नोट : यदि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या ने 'ऑनलाईन' परीक्षा के लिए किसी विशेष केन्द्र का विकल्प नहीं लिया है तो अन्य किसी भी संलग्न केंद्र उन उम्मीदवारों को आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है या ऑनलाईन परीक्षा के लिए उपलब्ध अन्य सेंटर/केंद्र में सामर्थ्य से अधिक उम्मीदवारों की संख्या होने पर उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है.

प्रथम चरण की परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों (अस्थायी) में आयोजित की जाएगी.

राज्य/ के०शा०प्र/ र० रा०क्षे	केंद्र (प्रथम चरण)
अंडमान एंड निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश	गुंतूर/विजयवाड़ा, काकीनाड़ा, कुरनूल, नेल्लोर, राजाहमुद्री, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजियानाग्राम, अनंतपुर, कड़पा
अरुणाचल प्रदेश	नहरलगुन
असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिल्चर, तेजपुर
बिहार	आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया
चंडीगढ़	चंडीगढ़/ मोहाली
छत्तीसगढ़	भिलाई, बिलासपुर, रायपुर
दादरा एवं नगर हवेली	सूरत
दमन एवं दिऊ	सूरत
दिल्ली	दिल्ली/एनसीआर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद/ गांधीनगर, आनंद/वडोदरा, मेहसाना, राजकोट, सूरत/ बरदोली, जामनगर, भावनगर
हरियाणा	अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, ऊना, बिलासपुर
जम्मू व काश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, सांबा, बारामुल्ला, पुलवामा
झारखंड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची
कर्नाटक	बेलगाम, बेंगलुरु, गुलबर्गा, हुबली/धारवाड़, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडिपी
केरल	अल्लापुया, कन्नूर, इरनाकुलम, कोल्लम, कोटयम, कोझिकोड, मल्लापुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिचूर
मध्यप्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन
महाराष्ट्र	अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/ एमएमआर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सोलापुर, जालना
मणिपुर	इम्फाल, काकचिंग, चुराचंदपुर
मेघालय	शिलोंग
मिजोरम	आइजवल
नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर
उड़ीसा	बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, धंक्नाल, राउरकेला, संबलपुर
पुदुचेरी	पुदुचेरी
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, मोगा, फगवारा
राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
सिक्किम	बरडंग
तमिलनाडू	छेत्रई, कोयम्बटूर, मदुराई, नागरकोयल / कन्याकुमारी, सेलम, थंजवूर, त्रिचिरपल्ले, तिरुनेल्वेल्ली, वैलोर, कडलोर, धरमपुरी, एरोड़, नमक्कल
तेलंगाना	हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल, निजामाबाद

त्रिपुरा	अगरतला
उत्तरप्रदेश	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज(इलाहाबाद), बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ़्फ़रनगर, वाराणसी, घाज़ीपुर
उत्तराखंड	देहरादून, हल्दवानी, रुड़की
पश्चिम बंगाल	आसनसोल, हुगली, कल्याणी, कोलकाता/ ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, हावड़ा

द्वितीय चरण की परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों (अस्थायी) में आयोजित की जाएगी.

राज्य/ के०शा०प्र/ र० रा०क्षे	केंद्र (द्वितीय चरण)
आंध्र प्रदेश	विजयवाडा/गुंटूर, विशाखापट्टनम
अरुणाचल प्रदेश	नहरलगुन
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
चंडीगढ़	चंडीगढ़-मोहाली
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली/ एन सी आर
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद / गांधीनगर
हरियाणा	हिसार, अंबाला
हिमाचल प्रदेश	शिमला, हमीरपुर
जम्मू व काश्मीर	जम्मू, श्रीनगर
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बेंगलुरु
केरल	इरनाकुलम
मध्यप्रदेश	भोपाल, इंदौर
महाराष्ट्र	मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/ एमएमआर, पुणे
मणिपुर	इम्फाल, चुराचन्दपुर
उड़ीसा	भुवनेश्वर
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडू	चेन्नई
तेलंगाना	हैदराबाद
उत्तरप्रदेश	लखनऊ, प्रयागराज (इलाहाबाद)
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता / ग्रेटर कोलकाता

10 (बी) परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण (ऑनलाइन): अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/पीडबल्यूबीडी उम्मीदवार जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे ऑनलाइन पंजीकृत के द्वारा सूचित कर सकते हैं. कृपया नियमित अध्ययन हेतु कंपनी वेबसाइट www.newindia.co.in के Recruitment खंड को देखें. जो उम्मीदवार ये विकल्प चुनते हैं, उन्हें उनकी पंजीकृत मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पे भी सूचित किए जाएंगे.

कृपया ध्यान दें कि केवल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने से किसी भी उम्मीदवार को कंपनी में रोजगार की पेशकश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

11. आवेदन कैसे करें

विस्तृत दिशा-निर्देश / प्रक्रिया निम्नलिखित के लिए :

ए. आवेदन पंजीकरण

बी. शुल्क भुगतान

सी. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड

पंजीकरण से पूर्व नोट की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें-

ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार को चाहिए कि

i. निम्न को स्कैन करें :

• फोटोग्राफ (4.5 cm x 3.5 cm)

• हस्ताक्षर (सफ़ेद कागज़ पर काले कलम से)

• बाएं अंगूठे की छाप (सफ़ेद कागज़ पर काले या नीली स्याही से) (यदि किसी अभ्यर्थी के पास बायां अंगूठा नहीं है, तो वह अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता/सकती है। यदि दोनों अंगूठे अनुपस्थित हों, तो बाएं हाथ की तर्जनी से शुरू (फोरफिंगर) करते हुए किसी एक उंगली का निशान लिया जाना चाहिए। यदि बाएं हाथ की कोई भी उंगली न हो, तो दाएं हाथ की तर्जनी से शुरू करते हुए किसी एक उंगली का निशान लिया जाना चाहिए। यदि कोई उंगली उपलब्ध नहीं है, तो बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में, जहां बाएं अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, अभ्यर्थी को अपलोड किए गए दस्तावेज़ में प्रयुक्त उंगली का नाम तथा वह बाएं/दाएं हाथ या पैर का अंगूठा है/, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

ii. हस्त लिखित घोषणा (सफ़ेद कागज़ पर काले कलम से) (नीचे दिये पाठ के अनुसार) (हस्तलिखित घोषणा केवल उम्मीदवार की अपनी अंग्रेज़ी हस्तलिपि में ही होनी चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा लिखी गई हो या किसी अन्य भाषा में हो, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा। (ऐसे उम्मीदवार जो लिख नहीं सकते, वे घोषणा के पाठ को टाइप करवा सकते हैं और यदि वे हस्ताक्षर करने में भी असमर्थ हैं, तो टाइप की गई घोषणा के नीचे अपना बायां अंगूठा लगा सकते हैं और दस्तावेज़ को निर्दिष्ट प्रारूप अनुसार अपलोड कर सकते हैं।)

iii. अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा

iv. बाएं अंगूठे की छाप ठीक ढंग से स्कैन की जानी चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए।

v. हस्त लिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

"I, _____ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

vi. उपरोक्त उल्लिखित हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलेख में और केवल अंग्रेज़ी में होनी चाहिए (कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए)। यदि यह किसी और के द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा (दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए, जो लिख नहीं सकते हैं, वे टाइप किए गए घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ अंगूठे की छाप डाल सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं)

vii. आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क के भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज़ तैयार रखें

viii. वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाईल नं. हो जोकि भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सभी कार्यालयीन पत्राचार उम्मीदवार के इस पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा यह ई-मेल आईडी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटा न जाए। उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी न होने की स्थिति में, वह ऑन लाईन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी बनाए और मोबाईल रखें और अपना ई-मेल खाता और मोबाईल नंबर बरकरार रखें।

(ए) आवेदन प्रक्रिया

• उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाइट www.newindia.co.in पर भर्ती (रिक्रूटमेंट) खंड में "अप्लाई ऑन लाईन" पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी।

• आवेदन पंजीकरण हेतु "क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन" का बटन चुने और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी दर्ज करें। स्क्रीन पर अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उम्मीदवार अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करें। अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाले ई-मेल और एस.एम.एस. भी भेजे जाएंगे

• उम्मीदवार द्वारा एक बार आवेदन पूर्ण न कर पाने की स्थिति में वे पहले से प्रविष्ट किये गये डाटा को "सेव एंड नेक्स्ट" टैब के माध्यम से सेव करें. ऑनलाईन आवेदन की प्रस्तुति से पहले उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है कि वह "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में सभी विवरणों को सत्यापित कर लें और यदि आवश्यक हो तो उनका संशोधन भी करें. क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले अपने सभी विवरणों को सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें.

• उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई सभी जानकारी को अंतिम समझा जाएगा तथा अंतिम प्रस्तुति के पश्चात सुधार की अनुमति नहीं है. उम्मीदवारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऑन लाईन आवेदन ध्यानपूर्वक भरें और सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें क्योंकि "कंप्लीट रेजिस्ट्रेशन" बटन क्लिक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव / मान्य नहीं होगा.

• आवेदन में उम्मीदवार का नाम या उनके पिता / पति इत्यादि के नाम की वर्तनी सही हो जैसे कि उसके प्रमाणपत्रों / अंक सूचियों तथा फोटो आइ डी/पहचान पत्र में दिखाया गया हो. किसी भी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

• अपने विवरणों को प्रमाणित करें और अपने आवेदन को "वैलिडेट यूअर डिटेल्स" पर क्लिक कर सेव करें और "सेव एण्ड नेक्स्ट बटन" पर क्लिक करें.

• मद क्रमांक "सी" में दिये गये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु आगे बढ़ें.

• उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के अन्य विवरणों को भरने के लिए आगे बढ़ सकता है.

• प्रीव्यू हेतु "प्रीव्यू टैब" क्लिक करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले संपूर्ण आवेदन फॉर्म को जांच लें

• यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और अपलोडेड फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और भरे गये अन्य विवरण सत्यापित और सुनिश्चित करने के पश्चात ही "कंप्लीट रेजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें.

• "पेमेंट" टैब पर क्लिक करें और भुगतान हेतु आगे बढ़ें.

• "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.

(बी) शुल्क का भुगतान

केवल ऑनलाईन माध्यम से

1. आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन फॉर्म को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया है और यह भुगतान प्रक्रिया निर्देशों के अनुसार पूरी की जा सकती है.
2. भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर/मास्टेरो (या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग /आईएमपीएस/कॅश कार्ड / मोबाइल वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है.
3. ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में भुगतान सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त करने का इंतजार करें. दोहरे शुल्क के प्रभार से बचाव हेतु "बैक" या "रिफ्रेश" बटन न दबाएं.
4. सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन पूरी होने पर ई-रसीद जनरेट होगी
5. ई-रसीद जनरेट न होना इस बात को दर्शाता है कि भुगतान रद्द हो गया है. भुगतान के रद्द होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए पुनः लॉग इन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं.
6. उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे ई-रसीद और ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें. कृपया नोट करें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो यह समझें कि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है.
7. क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं हेतु: सभी प्रभार भारतीय रुपयों में सूचीबद्ध हैं. यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक वर्तमान प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार उसे स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा.
8. अपने डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया एक बार अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के पश्चात ब्राउजर विंडो बंद कर दें.
9. शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेने की सुविधा है.

(सी) दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश

ऑनलाईन आवेदन करने से पहले, एक उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और लिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी.

फोटोग्राफ की छवि

- फोटोग्राफ वर्तमान पासपोर्ट आकार और रंगीन होनी चाहिए..

- तस्वीर रंगीन होनी चाहिए, प्रमुखतः पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की हो.
- कैमरे को सीधे देखें और चेहरा ढीला (रीलैक्स) रखें.
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है तो सूरज आपकी पिछली तरफ हो, या स्वयं को छाँव में रखे ताकि आपकी आंखें झपकें नहीं और कोई गहरी छाया न हो.
- यदि फ्लैश का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड आई" न हो.
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट दिखें.
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं है. पगड़ी / धार्मिक दृष्टिकोण से सिर को ढकने की अनुमति है परन्तु यह आपके चेहरे को ढके नहीं.
- आयाम 200 x 230 पिक्सल (अधिमानित)
- फाईल का आकार 20 के. बी. से 50 के. बी. के बीच में हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई ईमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाईल का आकार 50 केबी से अधिक होता है तो स्कैनर की सैटिंग जैसे कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को स्कैन करते समय/ प्रोसेसिंग के दौरान समायोजित करें.
- यदि फोटोग्राफ उसकी सही जगह पर अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन अस्वीकार किया जाएगा जिसके लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होगा.

लाइव फोटोग्राफ कैप्चर:

- उपरोक्त फोटोग्राफ के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अपने लाइव फोटोग्राफ को भी वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके कैप्चर कर अपलोड करना आवश्यक होगा.
- "Capture Photo" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवार का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा, जिससे वे अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे, जो स्वतः ही आवेदन पत्र में अपलोड हो जाएगी.
- "Click here to Scan" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवार मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर सकेंगे, जो उन्हें एक वेबसाइट पर ले जाएगा. वहां वे अपने मोबाइल फोन से तस्वीर क्लिक कर सकेंगे. चयनित तस्वीर को चुनते ही वह स्वतः आवेदन पत्र में अपलोड हो जाएगी.

फोटोग्राफ लेने के दिशा: निर्देश-

क्या करें :

- सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि के सामने तथा पर्याप्त प्रकाश में लिया गया हो.
- सीधे वेबकैमरे की ओर देखें.
- फोटोग्राफ पासपोर्ट आकार का होना अनिवार्य है.

क्या न करें :

- छोटे आकार की फोटो न खींचें और न अपलोड करें
- रंगीन चश्मा, सनग्लासेस या टोपी न पहनें
- चेहरे पर परछाई, कैमरे की ओर न देखना, चेहरा विकृत होना, मास्क से ढका चेहरा या धुंधली फोटो स्वीकार्य नहीं है.
- अंधेरे में ली गई अथवा अनुचित पृष्ठभूमि वाली फोटोग्राफ मान्य नहीं होगी.

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और लिखित घोषणा की छवि :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
- आवेदक अपने बाएं अंगूठे की छाप सफेद कागज पर काले या नीले स्याही से करें°
- आवेदक को लिखित घोषणा सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में लिखनी है
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप, और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा ही किए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं.
- हस्ताक्षर का प्रयोग बुलावा पत्र पर लगाने के लिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां किया जाएगा .
 - आयाम 140 x 60 पिक्सल (वांछित)
 - फाइल का आकार हस्ताक्षर के लिए 10 kb से 20 kb के बीच और बाएं अंगूठे के निशान के लिए 20 kb से 50 kb के बीच होना चाहिए.
 - सुनिश्चित करें की स्कैन की गयी छवि का आकार 20 kb से अधिक न हो.

- बुलावा पत्र और परीक्षा के समय उपस्थिति सूची में लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर का मेल ,अपलोड किए गए हस्ताक्षर से होना चाहिए .यदि हस्ताक्षर का मेल नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा.
- बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में की गयी हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.

बाएं अंगूठे की छाप

- आवेदक अपने बाएं अंगूठे की छाप सफ़ेद कागज पर काले या नीले स्याही से करें°
- बाएँ अंगूठे की छाप केवल आवेदक द्वारा ही किए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं.
 - फाइल का प्रकार : jpg/ jpeg
 - dpi 200 में 240x240 पिक्सल आवश्यक गुणवत्ता के लिए ज़रूरी (जोकि 3 सीएम 3 * सीएम) चौड़ाई*ऊंचाई (
 - आकार 20 केबी से 50 केबी के बीच हो .

हस्त लिखित घोषणा

- हस्त लिखित घोषणा वैसी ही हो जैसी कि अपेक्षित है
- हस्त लिखित घोषणा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में स्वीकार नहीं किया जाएगा
- हस्त लिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में सफ़ेद कागज पर काली या नीली स्याही से स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए.
- हस्त लिखित घोषणा उम्मीदवार के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए .
- हस्त लिखित घोषणा:
 - फाइल का प्रकार jpg/jpeg
 - आयाम dpi 200 में x400800 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए ज़रूरी) जोकि 10 सीएम (चौड़ाई*ऊंचाई)
 - आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच हो .

दस्तावेजों की स्कैनिंग

- स्कैनर कारेसोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डोट्स प्रति इंच) पर सैट करें
- रंग को टू कलर पर सैट करे
- बाएँ अंगूठे की छाप ,और हस्त लिखित घोषणा के किनारे तक इमेज को स्कैनर में क्रोप करें फिर अपलोड एडिटर का प्रयोग करते हुए इमेज को अंतिम साईज तक क्रोप करें) जैसा उल्लेख किया गया है)
- फाईल की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के लिए फाईल का नाम: छवि01. जेपीजी या छवि01. जेपीईजी .
- छवि का आकार फोल्डर फाईलो को सूचीबद्ध कर के या माउस को फाईल ईमेज आईकन पर ले जाकर जाँचा जा सकता है.
- उम्मीदवार जो एमएस विंडो/एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर को एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मेनेजर से प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को जेपीजी फॉर्मेट में फाईल मेन्यु के 'सेव ऐज विकल्प में सुरक्षित/सेव कर सकते हैं .फाइल को क्रॉप का प्रयोग करते हुए ,फिर री साईज का विकल्प चुनते हुए नियमित किया जा सकता है.

- यदि फाईल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र/फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने हेतु लिंक प्रदान किया जाएगा .

अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक दिया जाएगा.
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "अपलोड फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर /बाएं अंगूठे की छाप /हस्त लिखित घोषणा"
- जहां फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे की छाप /हस्त लिखित घोषणा फाईल सेव की गई है उस स्थान पर ब्राऊज कर सिलेक्ट करें.
- फाईल पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट करें.
- "ओपेन / अपलोड "बटन पर क्लिक करें .आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो ,हस्ताक्षर ,बाएं अंगूठे की छाप और निर्दिष्ट लिखित घोषणा को निर्दिष्ट न करें°

- यदि फाईल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में "प्रीव्यू" के माध्यम से यह जांच ले कि छवियां स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार तस्वीर या हस्ताक्षर पुनः अपलोड करें.

टिप्पणी :

1. यदि तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे की छाप या हस्त लिखित घोषणा में चेहरा अस्पष्ट / धुंधला है तो उम्मीदवार के आवेदन को खारिज कर दिया जा सकता है.
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे की छाप / हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे की छाप या हस्त लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पहले उसकी तस्वीर या हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकता है.
3. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि फोटोग्राफ अपनी जगह तथा हस्ताक्षर अपनी जगह ही अपलोड किया हो . यदि ऐसा न किया हो तो उम्मीदवार को परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा
4. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि अपलोड की गयी फोटोग्राफ आवश्यक आकार की हो और उसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो
5. यदि फोटो निर्धारित स्थान पर अपलोड नहीं की गई है, तो परीक्षा में प्रवेश अस्वीकृत अवरोधित कर दिया जाएगा/. इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी/.
6. उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे.
7. ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है.
8. जब तक आप निर्धारित अनुसार अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान एवं हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा.

टिप्पणी : कृपया नोट करें कि ऑन लाईन आवेदन में वर्णित विवरण जिसमें उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म की तारीख, पता, मोबाईल क्रमांक/नंबर, ई-मेल आई डी, परीक्षा केन्द्र आदि लिखा गया है जो अंतिम माना जाएगा और एक बार ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा कर देने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अतः उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑन लाईन आवेदन पूर्ण सावधानी से करें क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदन में गलत और/या अपूर्ण विवरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या आवेदन फार्म/पत्र में दिए गए आवश्यक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी.

किसी भी संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन यदि अधूरा होता है जैसे ऑनलाइन आवेदन में अपलोडेड अनुचित आकार की फोटोग्राफ /हस्ताक्षर / बाएँ अंगूठे की छाप /हस्त लिखित घोषणा /असफल शुल्क भुगतान, विचाराधीन और मान्य नहीं होगा. उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तारीख की समाप्ति से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क / सूचना प्रभार जमा कराने की अंतिम तारीख का इंतजार न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाइट पर भारी लोड/भार तथा जैम के कारण वेबसाइट पर लॉगइन फ़ैल्युर / अनुपलब्धता / असंबंध की संभावना से बचा जा सके. उक्त वर्णित कारणों या अन्य किसी कारण से यदि उम्मीदवार अंतिम तारीख तक अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. कृपया नोट करें कि केवल उक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने की वैध प्रक्रिया है. अन्य किसी माध्यम से आवेदित या अधूरी प्रक्रिया से किये गये आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे.

आवेदक द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना उम्मीदवार के लिये व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगी और बाद में किसी भी स्तर पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना / दिये गये विवरण यदि गलत पाये जाते हैं उस मामले में उत्पन्न होने वाले अभियोजन / शासकीय परिणामों हेतु उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे.

बुलावा पत्र डाऊनलोड करना

ऑन लाईन परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय चरण की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग से) के लिए बुलावा पत्र डाऊनलोड करने हेतु उम्मीदवार हमारी वेबसाइट <http://newindia.co.in> पर संपर्क करें. बुलावा पत्र डाऊनलोड करने की सूचना ई-मेल/ एसएमएस द्वारा भी दी जाएगी. उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करके बुलावा पत्र डाउन लोड करने हेतु विंडो तक पहुँच सकता है. बुलावापत्र डाऊन लोड करने हेतु उम्मीदवार का (i) पंजीकरण संख्या / अनु.क्रमांक, (ii) पासवर्ड / जन्म की तारीख आवश्यक है. प्रमुखतः पंजीकरण के दौरान लगाई गयी वर्तमान पहचान योग्य फोटोग्राफ ही बुलावा पत्र पर चिपकाए और

परीक्षा केन्द्र में (i) बुलावा पत्र (ii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य जैसे कि 'पहचान सत्यापन' और बुलावा पत्र में उल्लिखित है तथा (iii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य की एक प्रतिलिपि साथ में लाएं .

विलंब से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के पश्चात आनेवाले उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी. बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा आरंभ समय से पहले होगा. भले ही प्रथम चरण परीक्षा की अवधि 1 घंटा तथा द्वितीय चरण के लिए 2.5 घंटे है, उम्मीदवार को विभिन्न औपचारिकताएं जैसे सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करने, लॉग-इन एवं निर्देशों इत्यादि हेतु परीक्षा स्थल पर 4 घंटों के लिए रहना पड़ सकता है.

12. कदाचार में दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को यह परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान दिये गये विवरण में वे किसी प्रकार की गलत बयानी, हेरफेर, जालसाजी या किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को दबाने का प्रयास न करें

ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार या आगामी चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्न का दोषी पाया जाता है (या है) :

- (i) परीक्षा के दौरान गलत स्रोत का प्रयोग या (ii) छद्मरूप या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्म रूप धारण करने या (iii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में दुर्व्यवहार करने, परीक्षा (परीक्षाओं) की विषयवस्तु अथवा इसमें दी गई कोई जानकारी पूर्णतः अथवा अंशतः किसी भी रूप में किसी भी साधन वाचिक अथवा लिखित, इलेक्ट्रॉनिकली अथवा यांत्रिक रूप से, किसी भी उद्देश्य से प्रकट करने, प्रकाशित करने, प्रतिकृति करने, संचारित करने, स्टोर करने अथवा संचारित तथा स्टोर करने में सहायता करने या (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अनियमित अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने या (v) अनुचित साधनों के द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने या (vi) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या अन्य कोई संचार उपकरण अंदर ले जाना तो ऐसा उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा:

- a. परीक्षा से अयोग्य करार दिया जाएगा जिस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी है.
- b. कंपनी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा या भर्ती के लिए उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा.
- c. यदि कंपनी (दि न्यू इंडिया एंशुरेंस कंपनी लिमिटेड) में कार्य ग्रहण कर चुका है तो उसे सेवाओं से निष्कासित कर दिया जाएगा.

13. अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / पीडब्ल्यूबीडी/ ईडब्ल्यूएस हेतु विशेष दिशानिर्देश:-

- a) अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों से जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाए (जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है) :

जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उपायुक्त/ उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टांपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/ उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/ तालुका मैजिस्ट्रेट/ उच्च मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टांपेन्डरी मैजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो/ उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है.

जहां तक तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति का संबंध है, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के एवज में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र ही स्वीकार्य होगा.

नोट : राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश, जहाँ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति वैधता प्रमाणपत्र (जहां भी वैध हो), स्वतः सत्यापित फोटोप्रति सहित, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा.

- b) ऐसे उम्मीदवार जो अ.पि.व. के अंतर्गत आरक्षण चाहते हैं उन्हें "ओबीसी स्टेटस और नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस" के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) तारीख 15/11/1993 (समय समय पर संशोधित) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो. प्रमाणपत्र में "नॉन क्रीमीलेयर खंड" होना अवश्य है जो कि डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) तारीख 08/09/1993 (समय समय पर संशोधित) के अनुसूची के स्तंभ 3 के अनुसार हो. प्रमाणपत्र पिछले तीन वित्त वर्ष (2022-23, 2023-24 और 2024-25) की आय पर आधारित हो अथवा 31/03/2025 के बाद जारी किया गया हो. इसके बिना उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा

ऐसे उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रारूप में घोषणा भी प्रस्तुत करनी है.

"मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____ गांव / नगर / शहर का निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं _____ समुदाय से संबंध रखता हूँ जिसकी पहचान भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण के प्रायोजन हेतु पिछड़े वर्ग के अंतर्गत की गयी है जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) तारीख 08.09.1993 (समय समय पर संशोधित)' के नियमों के अनुसार जारी किया गया है. मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मैं किसी व्यक्ति समूह/ समुदाय / समुदायों (क्रीमी लेयर) का हिस्सा नहीं हूँ, जिसका उल्लेख उपलिखित कार्यालय ज्ञापन तारीख 08.09.1993 (समय समय पर संशोधित) के स्तंभ 3 की सूची में हैं."

प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख, केंद्र सरकार सूची / अधिसूचना के पत्र के साथ हूबहू मेल खाना चाहिए. अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा/ या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो वह अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं है. वे उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को 'सामान्य' (युवार) दर्शायें.

- c) अशक्तता सहित व्यक्तियों हेतु:- जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपेडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे.
- d) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए जारी आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण (भारत सरकार द्वारा समय समय पे जारी) निम्न हैं: i. जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उपायुक्त/ उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/ उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/ तालुका मैजिस्ट्रेट/ उच्च मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ii. मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो. iv. उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है. आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि. और यह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आय होगी. **प्रमाण पत्र 31.03.2025 के बाद जारी किया जाना चाहिए था**
- e) ईडब्ल्यूएस श्रेणी की रिक्तियां अस्थायी हैं तथा भारत सरकार के आगामी निर्देशों एवं किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष के अधीन हैं. नियुक्ति अनंतिम है और यह आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की विधिवत सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर है.
- f) साक्षात्कार इत्यादि के समय पर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कृपया परिशिष्ट में दर्शाये गये निर्धारित फॉर्मेट (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक) में ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाएं. इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रमाणपत्र केवल इसी फॉर्मेट में प्रस्तुत करें.

14. सामान्य सूचना:

- उम्मीदवार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. क्रमशः इसी प्रकार साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बुलावा पत्र सहित प्रस्तुत करें. उम्मीदवार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाया गया नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया हो) और फोटो पहचान साक्ष्य पर दर्शाया गया नाम बिल्कुल समतुल्य हो.
- परीक्षा प्रशासन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता जिसका प्रभाव परीक्षा देने और / या परिणाम तैयार करने पर हो सकता है. ऐसी घटना पर कठिनाई को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को किसी अन्य केन्द्र में स्थानांतरित करना शामिल है या, यदि आवश्यक हो तो, अन्य परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा. ऐसे परिवर्तन को स्वीकार न करने के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा की अपनी उम्मीदवारी खो देंगे.
- भर्ती से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्य होगा. इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार या व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी.
- यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों में प्राप्त अंकों को परीक्षा के अलग अलग सत्रों के कठिनाई स्तर को समान करने के लिए समायोजित करने पर मामूली अंतर आएगा. एक से अधिक सत्र लिये जाने की आवश्यकता, नोड्स की क्षमता कम होने या केन्द्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी व्यवधान आने पर पड़ सकती है.
- एकल उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया (उत्तरों) का विश्लेषण अन्य उम्मीदवारों के साथ, सही और गलत उत्तर के पैटर्न की समानता का पता लगाने के लिए किया जाएगा. इस संबंध में अपनायी गयी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यदि यह अनुमान/निष्कर्ष

निकाला गया कि उत्तर का आपस में मिलान किया गया है तथा प्राप्तांक प्रामाणिक/वैध नहीं है तो कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकती है और ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम रोक रखा जाएगा.

6. नीति के अनुसार, परीक्षाओं/प्रश्नपत्रों को केवल परीक्षा के दौरान ही उम्मीदवारों को दिखाया जाता है. परीक्षा समाप्त होने के बाद भी प्रश्नपत्र किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है.
7. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत सूचना प्रदान करने के दृष्टांत सामने आते हैं तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उसे एनआयए (न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड) की किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे दृष्टांतों का पता नहीं चल पाता परंतु बाद में ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तब ऐसी अयोग्यता पहले से ही प्रभावी होगी.
8. ऑनलाइन परीक्षा (प्रथम तथा द्वितीय चरण) एवं साक्षात्कार के लिए तारीख, समय और स्थान में कोई भी बदलाव के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे. ऑनलाइन आवेदन में दिये गए किसी भी अंश में बदलाव के लिए आवेदन नहीं लिए जाएंगे.
9. पद हेतु ऑन लाईन आवेदन करते समय उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित तिथियों तक उपर्युक्त पात्रता को पूर्ण करता है और उसके द्वारा दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है. **यदि भर्ती के किसी चरण में यह पता चल जाता है कि उम्मीदवार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता और /या उसने गलत / झूठी जानकारी दी है या किन्हीं तथ्यों को छुपाया है तब उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी कमियाँ पायी जाती हैं तो उसको सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा.**
10. उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले ही ऑन लाईन आवेदन कर लें (और अंतिम तिथि तक आवेदन करने का इंतजार न करें क्योंकि) अंतिम तिथि वाले दिन इंटरनेट पर लोड बढ़ने के कारण वेबसाइट पर लॉग-इन करने में असमर्थता/ विफलता/ डिसक्नेक्शन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है.
11. किसी भी कारणवश यदि उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो कंपनी इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी.
12. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ऑन लाईन रजिस्टर करें तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना ई-मेल आयडी बरकरार रखें. आवेदन फॉर्म पर उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर कंपनी की एसएमएस सेवा हेतु दें. **कृपया ध्यान रखें कि उल्लेखित मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रहे.**
13. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी घोषणाएँ उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पे दिये जाएंगे. यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा/या ईमेल आईडी में बदलाव (तकनीकी खराबी अन्यथा कोई और खराबी जो कि कंपनी के नियंत्रण से परे हो) के कारण, उम्मीदवार को कोई संदेश नहीं पहुँच पाता है तो इसके ज़िम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी. कृपया नियमित अध्ययन हेतु कंपनी वेबसाइट www.newindia.co.in के Recruitment खंड एवं अपना पंजीकृत ईमेल अकाउंट नियमित तौर से देखें.
14. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने विवेकाधिकार जहाँ कहीं आवश्यक हो कोई केंद्र जोड़, हटा या आबंटित कर सकती है.
15. ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार का दाखिला अस्थायी तौर पर होगा और यह उम्मीदवार की आयु/अर्हता/श्रेणी (अ.ज./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ पीडब्ल्यूबीडी/ ईडब्ल्यूएस/ एक्सएस) से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बिना होगा.
16. किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए. कई आवेदनों के मामले में केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य एकाधिक पंजीकरण (ओं) के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा.
ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में एक से अधिक उपस्थिति को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा / उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदनों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और / या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा.
उम्मीदवार को केवल किसी एक क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहिए. एक से अधिक क्षेत्रों के लिए किए गए आवेदन करने पर उम्मीदवार के सभी आवेदनों को अमान्य माना जाएगा.
17. साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय आयु/ अर्हता/ श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. **वे उम्मीदवार जो (अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व.) के तहत आरक्षण पाना चाहते हैं वे निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र (जहाँ भी वैध हो) के साथ जमा करें और उक्त जाति प्रमाणपत्र में उस नियम/आदेश का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत उम्मीदवार की जाति को (अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व) घोषित किया गया हो और उम्मीदवार उस गांव व /कस्बे का निवासी है इसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए.**

18. किसी भी चरण में जाति प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार का झूठ पाया गया तो उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द हो जाएगी.
19. उम्मीदवार जो कि सरकारी /अर्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय जमा करना होगा. ऐसा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा भत्ता देय है तो वह भी नहीं अदा किया जाएगा. चयन किये गए उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ के समय अपने नियोक्ता (सरकारी /अर्ध सरकारी /सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के उपक्रम) द्वारा जारी सेवामुक्त पत्र /कार्य मुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ नहीं करने दिया जाएगा.
20. उम्मीदवार को अपने ही खर्च पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रवास का सबूत (रेल/बस की टिकिट/रसीद) प्रस्तुत करने पर उन्हें स्लीपर क्लास का जाने व आने का न्यूनतम दूरी का रेल/बस किराया दिया जाएगा.
21. उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उनके द्वारा कॉल लेटर, अट्रेंडेंस शीट, कंपनी से किए गए पत्र व्यवहार इत्यादि में संलग्न हर हस्ताक्षर, बिना किसी विविधताओं के, पूर्ण रूप से मेल खाना चाहिए. बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है.
22. अगर परीक्षा या नियुक्ति प्रक्रिया के बाद कि चरणों में, विश्लेषण के बाद, उम्मीदवार की लिखाई में हस्तलिखित घोषणा से अंतर पाया जाता है, तब उस स्थिति में उनकी उम्मीदवारी स्थगित कर दी जाएगी.
23. उम्मीदवार द्वारा हाल ही का, पहचानने योग्य फोटो (4.5cm x 3.5cm) ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किया जाना है. उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसी फोटो कि प्रतिलिपियाँ, पूरे प्रकरण के दौरान उनके पास सुरक्षित हो. उम्मीदवार द्वारा यह भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान वह अपनी रूप में किसी तरह का बदलाव न करें. उम्मीदवार द्वारा वही फोटो प्रकट करने कि अक्षमता, उनकी उम्मीदवारी खंडन करा सकती है.
24. **चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाये जाने के अधीन होगी. जोंकि कंपनी की एक आवश्यकता है. ऐसी नियुक्ति कंपनी की सेवाओं और आचरण नियमों के अधीन होगी.**
25. पात्रता, ऑनलाइन परीक्षा का संचालन, अन्य टेस्ट, साक्षात्कार तथा चयन के मामले में कंपनी के सारे निर्णय अंतिम तथा बाध्य होंगे. इस संदर्भ में कसी भी प्रकार कि प्रस्तुति नहीं ली जाएगी.
26. कंपनी किसी भी उम्मीदवार को उनके पाँच साल कि प्रारम्भिक तैनाती कि अवधि के पूर्ण न होने पर भी, उनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण करने का अधिकार रखती है.
27. किसी कानूनी दावे की प्रक्रिया में विज्ञापन के संदर्भ मे उठे विवाद और/ या उसके संबंध मे आवेदन केवल मुंबई के न्यायालय/ न्यायाधिकार/ अदालत में ही किया जा सकता है.
28. चयनित उम्मीदवार कंपनी के प्रचालित सेवा नियमों की शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होंगे.
29. परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश अस्थायी है. उम्मीदवार को जारी बुलावा पत्र से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कंपनी ने उम्मीदवारी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है.
30. **निम्न वस्तु परीक्षास्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है:**
 - a) पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामिति / पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन / स्कैनर आदि जैसी कोई स्टेशनरी आइटम.
 - b) बल्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि जैसे कोई भी संचार उपकरण - अन्य आइटम जैसे चश्मे, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, कैप, आदि.
 - c) सभी आभूषण जैसे अंगूठी, झुमके, नोज-पिन, चेन/हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि. पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए.
 - d) कोई घड़ी/कलाई घड़ी, कैमरा, आदि
 - e) कोई धातु की वस्तु
 - f) कोई भी खाने योग्य वस्तु खोली या पैक की गई
 - g) कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग कैमरा, ब्लू टूथ डिवाइस आदि जैसे संचार उपकरणों को छिपाने के लिए अनुचित साधनों के लिए किया जा सकता है.

इन अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर उम्मीदवार की पात्रता रद्द कर दी जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध और पुलिस शिकायतों सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है. ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कोई भी एजेंसी किसी भी आइटम के नुकसान के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी. इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों के पास होगी या कोई लागत नहीं होगी.
31. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए रद्द कर सकती है.

32. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में दी गयी सूचना गलत पाये जाने पर अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य की चयन प्रक्रियाओं के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा. ये कमियाँ, वर्तमान चयन प्रक्रिया में न उजागर हो कर यदि भविष्य में ज्ञात हो, तो उम्मीदवार का निलंबन, पूर्व-प्रभावी होगा.

किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में हमारे वेबसाइट WWW.NEWINDIA.CO.IN में भर्ती खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी रूपांतर अंतिम माना जाएगा. उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन तथा भर्ती प्रक्रिया के आगामी अद्यतनों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट के भर्ती खंड पर संपर्क करें.

किसी भी प्रकार से की गई याचना को अयोग्य माना जाएगा.

उप महा-प्रबंधक
कॉर्पोरेट एचआरएम

मुंबई
07.08.2025

नोट :

1. किसी भी प्रकार की कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा
2. कृपया प्रपत्रों के प्रारूप, पाठ्यक्रम और परिशिष्टों के लिए अंग्रेजी विज्ञापन देखें.

